

6/9/24

पत्रावली पेश हुयी समयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 28/11/24 को पेश हो।

आदेश से शिडर

8/11/24

पत्रावली पेश हुयी समयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 28/11/24 को पेश हो।

आदेश से शिडर

28/11/24 -

पत्रावली पेश हुई | वादी-आवेदन प्रतिकाही अर्द्ध 300
प्रकरण शाब्दिक आदेश से दिनांक 5/12/24
को पेश हो

5/12/24

पत्रावली पेश हुई | वादी आवेदनता उपर
वादी आवेदनता द्वारा अद्यतन राप्रव रिपोर्ट
की जति पेश की | वादी आवेदनता राप्रव रिपोर्ट
राप्रव रिपोर्ट के अनुसार वादी आवेदनता
नहीं है। राजमान कार्रकारी आदेशिका
1355 की धारा 183 के अनुसार वादी
का रिपोर्ट आवेदनता होना आवश्यक है
वादी के वर्तमान राप्रव रिपोर्ट के
अनुसार हीनतद आवेदनता नहीं होने से
वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मन्तगति धारा
183 राजमान कार्रकारी आदेशिका
आदेशिका धारा है। निम्न सोवसाम
सुनना गया | पत्रावली जैसल शुमाट
होकर दाखिल नदर हो।
उन्ही पत्रावली है। पत्रावली
जैसल शुमाट होकर दाखिल नदर हो
तथा तम्बाले कम हो।

5/12/24
शिडर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. लक्ष्मीनारायण पिता मांगीलाल पालड़िया, उम्र वयस्क निवासी पुर, पेशा कृषि, तह0 एवं जिला, भीलवाड़ा
2. जगदीश चन्द्र पिता उगमचन्द्र माली, आयु वयस्क निवासी पुर पेशा कृषि तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
वादीगण

बनाम

1. शंकर सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपुत, निवासी कारोई खुर्द, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जेयाबी आराजियात

प्रकरण संख्या 64/2015 राजस्व वाद

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत उपस्थित — इस वाद में आज तारीख 05.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—
वादीगण के वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अनुसार हितबद्ध खातेदार नहीं होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।


अरुण कुमार जैन
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा